

TIC/2/2023-IMPORTS-FSSAI
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)
भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
(खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम, २००६ के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(Trade and International Cooperation Division-TICD)
(व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग)
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- ११०००२

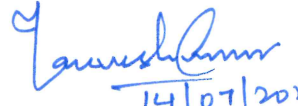
Date: 14-07-2025

Order

Subject: Copper limits in Hops Pellets-reg.

Reference is drawn to the order issued vide F.no.1-1832/Misc/FSSAI/Imports/2022 dated 28th October 2022 regarding copper limits in Hops Pellets. It has been decided to withdraw the referred order. All imported consignments of Hops Pellets shall conform with the copper limits of "Foods not specified" category under Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) Regulation, 2011 i.e. 30 mg/Kg.

This issues with the approval of the Competent Authority.


14/07/2025
(Manvesh Kumar, IRS)
Director, Imports.

To,

- All Authorised Officers, FSSAI
- All Food Analysts, FSSAI
- Guard file of TICD, FSSAI HQ
- CITO, FSSAI-HQ, with a request to upload on the FSSAI website.

TIC/2/2023-IMPORTS-FSSAI
Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI)
भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
(Trade and International Cooperation Division-TICD)
(व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्रभाग)
FDA Bhawan, Kotla Road, New Delhi- 110002
एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली- 110002

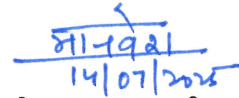
दिनांक: 14-07-2025

आदेश

विषय: हॉप्स पेलेट्स में तांबे की सीमा के संबंध में

संदर्भित आदेश संख्या F.no.1-1832/Misc/FSSAI/Imports/2022 दिनांक 28 अक्टूबर 2022 के अंतर्गत हॉप्स पेलेट्स में तांबे की सीमा के संबंध में जारी आदेश का उल्लेख किया गया है। इस संबंध में यह निर्णय लिया गया है कि उपरोक्त आदेश को वापस लिया जाता है। हॉप्स पेलेट्स के सभी आयातित खेपों को खाद्य सुरक्षा और मानक (संदूषक, आविष और अवशिष्ट) विनियम, 2011 की "निर्दिष्ट नहीं किए गए खाद्य पदार्थ" श्रेणी के अंतर्गत तांबे की सीमा अर्थात् 30 मि.ग्रा./कि.ग्रा. के अनुरूप होना अनिवार्य होगा।

यह आदेश सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है।


(मानवेश कुमार, आईआरएस)
निदेशक, आयात

प्रतिलिपि:

- सभी प्राधिकृत अधिकारी, एफ.एस.एस.ए.आई
- सभी खाद्य विश्लेषक, एफ.एस.एस.ए.आई
- टीआईसीडी, एफ.एस.एस.ए.आई मुख्यालय की गार्ड फाइल
- सीआईटीओ-एफ.एस.एस.ए.आई की वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित